फर्द अहकाम

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी मावली, जिला–उदयपुर

प्रार्थी : श्री रवि कालरा वगैरह | **विपक्षी : राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार घासा**

किस्म मुकदमा – 131,133 भू.राजस्व अधिनियम | **पत्रावली संख्या : 119/24**
जीसीएमएस : 2024/469

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक : 28.02.2025 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थीगण एवं राजपैरोकार उपस्थित। अधिवक्ता प्रार्थीगण एवं राजपैरोकार की बहस पूर्व पेशी पर सुनी गई। तहसीलदार घासा द्वारा रिपोर्ट पेश कर निवेदन किया कि प्रकरण में वर्णित भूमि वर्ष 1983 में दिनांक 20.04.1983 को कार्यालय उपखण्ड अधिकारी महोदय वल्लभनगर जिला उदयपुर के आदेश क्रमांक मि. न. 35/83 आवंटन दिनांक 20.04.1983 द्वारा श्री मनोहरसिंह पिता उमसिंह जाति राजपूत को मूल आराजी नम्बर 955 में से रकबा 10 बीघा लगानी 3.00 रूपये भू अभिलेख में गैरखातेदारी हक से अंकित करने का आदेश किया गया था। उक्त आवंटन आदेश की पालना में तत्कालीन नामान्तरकरण पंजिका ग्राम मारूवास के क्र.स. 123 पर गैरखातेदार मनोहरसिंह पिता उमसिंह जाति राजपूत के नाम दर्ज रिकॉर्ड हुआ। उक्त आवंटन के क्रम में मनोहरसिंह पिता उमसिंह जाति राजपूत गैरखातेदारी से खातेदारी हक नामान्तरण पंजिका के क्र.स. 370 में दर्ज रेकॉर्ड हुआ। आवंटन आदेश के साथ उक्त आवंटित आराजीयात् 955/1 का कोई पृथक नक्शा संलग्न नहीं है। किन्तु नामान्तरण पंजिका के क्र.स. 123 पर ही तत्कालीन पटवारी द्वारा एक नक्शा बनाया हुआ है जो सही पैमाना लिए नहीं बना हुआ है। पटवार हल्का कार्यालय पर उपलब्ध लट्ठा शीट में उक्त आराजीयात् 955/1 का अंकन का सही अनुमान तरमीम सही नहीं होने से नहीं लग पा रहा है। वर्तमान बटर शीट में 955/1 के नए बने आराजीयात् की तरमीम मौजूद है। बेचान से मूल खातेदार मनोहरसिंह पिता उमसिंह जाति राजपूत से वर्तमान में आराजी नम्बर 1833/1626 किता 01 रकबा 0.4047 हैक्टेयर किस्म मगरी प्रार्थी खातेदार रवि कालरा पुत्र गुरमुखदास कालरा हिस्सा 1/2 व संजय कालरा पुत्र गुरमुखदास कालरा हिस्सा 1/2 सा. उदयपुर के नाम दर्ज रेकॉर्ड है। प्रार्थी रवि कालरा व अन्य द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में आराजी नम्बर 1833/1626 को गलत तरमीम होना बताया गया है, जिसमें पटवार मण्डल पर उपलब्ध बटर शीट में आराजी नम्बर 1833/1626 का माप करने पर उक्त आराजीयात् का रकबा कम होना पाया गया है। वर्तमान में मौके पर उपलब्ध प्रार्थी के कब्जे वाली भूमि के माप में उक्त आराजी का रकबा 0.4047 हैक्टेयर होना पाया गया, परन्तु वर्तमान में मौके पर उपलब्ध प्रार्थी के कब्जे की भूमि का नक्शा राजस्व रेकॉर्ड से भिन्न पाया गया। ऑनलाईन गुगल इम्पोज में उक्त आराजीयात् की स्थिति एवं उक्त आराजीयात् के पास से गुजर रहे रास्ते की आराजी 1862/955 की स्थिति स्पष्ट हो रही है। उक्त आराजीयात् 1833/1626 को मौके अनुसार उपलब्ध भूमि एवं रास्ते के आराजी नम्बर 1862/955 को मौके अनुसार वर्तमान स्थिति एवं प्रस्तावित नया नक्शा ट्रेस साथ सलंग्न है। उक्त नए प्रस्तावित नक्शे में नए नक्शे को [illegible] दर्शाया गया है। तहसीलदार घासा द्वारा अपनी रिपोर्ट के साथ पटवारी रिपोर्ट, मौका पर्चा एवं प्रस्तावित नक्शा ट्रेस एवं अन्य दस्तावेज संलग्न किए गए।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.04.22 17:35:36 IST
Reason: SelfAttested

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। तहसीलदार घासा द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अध्ययन किया। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि ग्राम मारूवास पटवार हल्का नउवा तहसील घासा की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2077–80 के खाता संख्या 395 पर दर्ज आराजी नम्बर 1833/1626 रकबा 0.4047 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीगण के नाम पर दर्ज है। परन्तु नक्शा ट्रेस में प्रार्थीगण का रकबा 0.4047 हैक्टेयर नही होकर कम भूमि है। जबकि नक्शा ट्रेस में भी नपती करने पर प्रार्थीगण की भूमि का रकबा जमाबंदी में दर्ज रकबे के बराबर होना चाहिए था। तहसीलदार घासा द्वारा भी स्वीकार किया गया है कि तत्कालीन पटवारी द्वारा नक्शा ट्रेस सही पैमाना लेकर नही बनाया जिससे प्रार्थीगण की भूमि का रकबा नक्शा ट्रेस कम दर्ज हो गया। तहसीलदार घासा द्वारा मौके एवं जमाबन्दी में दर्ज रकबे अनुसार प्रस्तावित नक्शा ट्रेस भी प्रस्तुत किया हैं। न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि जमाबंदी में दर्ज आराजी का रकबा एवं नक्शा ट्रेस में रकबा भिन्न नही हो सकता है। जबकि तहसीलदार की रिपोर्ट अनुसार इस प्रकरण में वर्णित आराजीयात का रकबा जमाबंदी एवं नक्शा ट्रेस में भिन्न है। जिससे शुद्ध करना न्यायोचित पाया जाता है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र न्यायहित में तहसीलदार घासा की रिपोर्ट के आधार पर स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

–: आदेश :–

परिणामस्वरूप प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 133 भू. राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि ग्राम मारूवास पटवार हल्का नउवा तहसील घासा की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2077–80 के खाता संख्या के खाता संख्या 395 पर दर्ज आराजी नम्बर 1833/1626 रकबा 0.4047 हैक्टेयर भूमि की तरमीम तहसीलदार घासा द्वारा प्रस्तावित नक्शा ट्रेस अनुसार किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार घासा द्वारा प्रस्तावित नक्शा ट्रेस इस आदेश का अभिन्न अंग रहेगा। प्रस्तावित नक्शा ट्रेस अनुसार तरमीम किये जाने हेतु तहसीलदार घासा को लिखा जावें। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले न्यायायलय सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.04.22 17:35:36 IST
Reason: SelfAttested